कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2450 /11–सी–FP/UP/Others/30687/2017, लखनऊ, दिनांकः जून 25,2019

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाईगर रिजर्व, पीलीभीत।

विषयः– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा बीसलपुर–बिलसण्डा मार्ग सं0–62 पी0ए0 के चैनेज 5.924 से 5.959 दॉयी पटरी पर ग्राम ईटगॉव, तहसील–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा सं0–821 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/30687/2017)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1239/14–1, दिनांक 21.02.2019 (प्राप्त दिनांक–18.06.2019) एवं पत्रांक–1820/14–1 दिनांक 22.06.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– प्रस्तावित वनभूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल एवं बारचार्ट है संलग्न है, किन्तु Non Forest Area Cluculation नहीं किया गया है। अतः Non Forest Area Cluculation कर संलग्न करते हुए ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड़ करें।

2– प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है व ऑनलाइन भाग–1 में Non Forest Area की के0एम0एल0 फाईल अपलोड नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर Geo Referenced Digital Map संलग्न करते हुए आनलाइन भाग–1 Non Forest Area की के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।

3– क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

4– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की सत्यापित टोपोशीट संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग–2 में कमांक–13(iv) में प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित टोपोशीट अपलोड नहीं की गयी है। अतः सत्यापित टोपोशीट ऑनलाइन भाग–2 कमांक–13(iv) में अपलोड करें।

5–. प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

6– प्रस्तावित वन भूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

7– भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा ले आउट प्लान का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

8– भारत सरकार के पत्रांक–11–268/2014–एफ0सी0, दि0 11.07.2014 द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।

9– पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु वैधता समाप्त हो चुकी है। अतः बढी हुई वैधता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।

10– गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की गयी है किन्तु मार्ग चिन्हित नहीं है। अतः गजट नोटिफिकेशन चिन्हित संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।

11– वन विभाग, उ0प्र0 शासन भारत सरकार द्वारा लगाइ गयी मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण–पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

12– मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय निदेशक प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न है, किन्तु निर्धारित प्रारूप में नहीं संलग्न किया गया है। अतः निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।

13– ऑनलाइन भाग–2 कमांक–13(i) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि अंकित नहीं की गयी है।

14– ऑनलाइन भाग–2 कमांक–13(ii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है।

15– ऑनलाइन भाग–2 में 13(iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण का Geo Referenced Digital Map अपलोड नहीं किया गया है।

16– सी0डी0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के0एम0एल0 फाइल Geo Referenced Digital Map & Toposeet Upload नहीं है।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

25/6

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–2450/11–सी– FP/UP/Others/30687/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक बरेली वृत्त, बरेली।

2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत।

25/6

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।